



(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2025 की कार्यसूची

(खण्ड-07)

दिनांक- 19 मार्च, 2025

माँग संख्या - 10

आय-व्ययक शीर्षक - ऊर्जा विभाग

94. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "ऊर्जा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 13484,35,17,000/- (तेरह हजार चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

95. श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2045, उप मुख्य शीर्ष-00 के लिए 1,18,36,000/- रुपये की माँग 5,00,000/- रुपये से घटाई जाय।

मितव्ययिता पर विचार-विमर्श करने के लिए।

- 96.-101. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

102. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 692,59,65,000/- (छः सौ बानवे करोड़ उनसठ लाख पैंसठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

103. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक - योजना एवं विकास विभाग

104. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "योजना एवं विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2602,18,06,000/- (दो हजार छः सौ दो करोड़ अठारह लाख छः हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

105. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक - विधि विभाग

106. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विधि विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1681,71,85,000/- (एक हजार छः सौ इक्कासी करोड़ इकहत्तर लाख पचासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक - गृह विभाग

107. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "गृह विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 17831,20,52,000/- (सत्रह हजार आठ सौ इकतीस करोड़ बीस लाख बावन हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

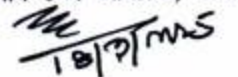
कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025-

604

/वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(असीम कुमार)

निदेशक,

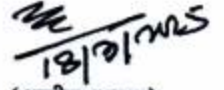
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025-

604

/वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक,

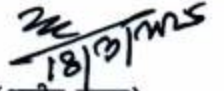
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025-

604

/वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

